



श्री शिवराज सिंह जी चौहान
मान. मुख्यमंत्री (मध्यप्रदेश)

विज्ञापन क्र.188

दिनांक : 28.08.2023

योजना क्रमांक 78-प्रथम व्यवसायिक (लोहामण्डी) में कन्विनिअंट शॉप भूखण्ड पर निर्मित दुकानो को भू-स्वामी अधिकार पर संपत्ति की आरक्षित कीमत या उससे अधिक पर व्ययन करने हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

अ. क्र.	संपत्ति का विवरण	संपत्तियों की संख्या	आरक्षण श्रेणी	सुपर बिल्टअप एरिया (वर्ग मीटर में)	बिल्टअप एरिया (वर्ग मीटर में)	कारपेट एरिया (वर्ग मीटर में)	संपत्ति की आरक्षित कीमत	अर्नेस्ट मनी (रु. लाख में)
1	दुकान भूतल तल	28	आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न सूची अनुसार	20.91 से 45.11	12.67 से 27.34	11.29 से 25.12	13.38 लाख से 31.76 लाख तक	1.34 से 3.18



लोकेशन हेतु स्कैन करें

ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने की तिथियाँ

अ.क्र.	विवरण	दिनांक	समय
1	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र कय करने की आरम्भ तिथि एवं समय	04-09-2023	14:00 hrs.
2	ऑनलाईन अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति राशि) जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	21-09-2023	17:30 hrs.
3	ऑनलाईन आवेदन एवं ऑफर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	22-09-2023	17:30 hrs.
4	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र जाँच हेतु खोलने की तिथि एवं समय	25-09-2023	11:30 hrs
5	सफल निविदादाताओं का ऑनलाईन वित्तीय प्रस्ताव खोलने का दिनांक एवं समय	06-10-2023	12:30 hrs

नोट :-

- ❑ निविदा एम.पी.ऑनलाईन के पोर्टल <https://www.vikaspradhikaran.mponline.gov.in> पर देखी एवं कय की जा सकती है। निविदा में भाग लेने के लिये आवेदक को पोर्टल पर अपनी लॉग-इन आय.डी. बनाकर प्रोफाईल में आवश्यक जानकारी दर्ज करना होगी। आवेदक ऑनलाईन निविदा स्वयं अथवा एम.पी.ऑनलाईन कियोस्क सेन्टर के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। एम.पी.ऑनलाईन का हेल्प डेस्क नंबर 0755-6720200 है।
- ❑ अर्नेस्ट मनी (प्रतिभूति राशि) का भुगतान ऑनलाईन क्रेडिट कार्ड/डेबिटकार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से ही करना होगा।
- ❑ आवेदक को अपनी निविदा मय आवश्यक दस्तावेजों के केवल ऑनलाईन ही प्रस्तुत करना होगी, भौतिक दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करना है।
- ❑ सम्पत्ति की प्रीमियम की प्रथम 25 प्रतिशत राशि (अर्नेस्ट मनी सहित) आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 1 माह की अवधि में जमा कराना होगी एवं शेष प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि आगामी 3 माह की अवधि में अर्थात् आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 4 माह की अवधि में जमा कराना होगी। निर्धारित समयावधि में प्रीमियम की राशि जमा न करने पर व्ययन नियम 2018 के नियम 12 अनुसार सम्पत्ति की निरस्ती की कार्यवाही की जायेगी।
- ❑ निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल प्राधिकारी की वेबसाईट <https://www.idaindore.org> पर ही प्रदर्शित किया जावेगा, जिसे पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।
- ❑ निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्राधिकारी को होगा, जिसके लिये कोई कारण नहीं दर्शाया जावेगा।

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में मार्केटिंग सेल मे मो. 9893699113 पर संपर्क करें।
प्राधिकारी की वेबसाईट www.idaindore.org पर देख सकते हैं।